वित्तीय दिशा निर्देश 2014–15

कार्यक्रम का नाम : परिवार कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत PPS(Post Partum Sterilisation) हेतु सेवा प्रदाता (Service Provider) MO को प्रोत्साहन राशि
बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष– A.8.1.10

बजट क्रम संख्या : एफ०एम०आर० कोड संख्या – A.8.1.10.4
कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण –
परिवार कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से प्रसवोपरान्त परिवार नियोजन ऑपरेशन को बढ़ावा दिया जा रहा ह।

RMNCH+A Strategy के अनुसार PPIUCD के अतिरिथ्क्त PPS हेतु सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है। प्रसवोपरानत बंध्याकरण (Post Partum Sterilization- PPS) हेतु देय यह प्रोत्साहन राशि वित्तीय वर्ष 2014–15 के माह अप्रैल 01.04.2014 से प्रभावी है। यह राशि उन स्वास्थ्य संस्थानों के सेवा प्रदाताओं को देय है जहाँ PPS की उपलब्धि संस्थागत प्रसव का कम–से–कम 5 प्रतिशत है। उन स्वास्थ्य संस्थानों के चिकित्सा पदाधिकारी एवं ऑपरेशन में सहायता करने वाला दल (वाले स्टॉफ नर्स/ए0एन0एम0 एवं ओ0टी0 सहायक) को प्रति केस रू.150/– प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाना है। राशि का बँटवारा इनके मध्य निम्नलिखित रूप से किया जाना है।

इकाई राशि –रूपया 150–/(एक सौ पचास रूपये) प्रति केस प्रति दल (दल – ऑपरेशन करने वाले चिकित्सक, सहायता करने वाले स्टॉफ नर्स/ए0एन0एम0 एवं ओ0टी0 सहायक)

Rs.100/- चिकित्सा पदाधिकारी हेतु, Rs.25/- सहायता करने वाले स्टॉफ नर्स/ए0एन0एम0 एवं Rs. 25/- ओ0टी0 सहायक हेतु

वित्तीय दिशा निर्देश : वित्तीय वर्ष 2014–15 में मद संख्या A.8.1.10.4 में उपलब्ध राशि से इकाई राशि के अनुरूप भुगतान किया जाना है।

इस संदर्भ में पत्र पूर्व में प्रेषित पत्र:

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी – डॉ0 मो0 सज्जाद अहमद
संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी का फोन नं० :

<u>**कियान्वयन हेतु दिशा निर्देश**</u>

कार्यक्रम का नामः RMNCH+A: Performance Based Incentives for the 10 High Priority Districts (HPDs)

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): Identification of high risk pregnancy and timely referral for treatment

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक–2 के आधार पर): A.8.1.10.5

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक गर्भवती महिलाओं को अच्छी गुणवत्ता के साथ प्रसव पूर्व, प्रसव कालीन, प्रसवोपरांत देखभाल प्रदान किये जाने का उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों को क्रियान्वित किया जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि 15 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं में गर्भावस्था, बच्चे के जन्म एवं प्रसवोपरांत जटिलता हो सकती है। इसलिए उच्च जोखिम वाले गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान पहचान करके, उसे आपातकालीन प्रसूति देखभाल वाले संस्थान पर रेफर करना एवं उसका प्रबंधन सुनिश्चित करना है। इस हेतु भारत सरकार के द्वारा RMNCH+A Strategy के तहत High Priority जिले के लिए Performance Based प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। जिसके क्रम में गर्भवती महिलाओं को अच्छी गुणवत्ता के साथ प्रसव पूर्व देखभाल करने के लिए ए.एन.एम. को प्रेरित करने हेतु इस बजट शीर्ष में प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है।

इकाई राशि (रू० में) : 1000/उपकेन्द्र/ए.एन.एम (1000/ANM for 2 ANM)

वित्तीय दिशा निर्देश :

ए.एन.एम. को निम्न अर्हताओं को पूरा करने पर रूपये 1000 वार्षिक देय है –

1. ए.एन.एम. द्वारा उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं की उच्च रक्तचाप, प्रसवपूर्व जाँच के दौरान रक्तस्राव या पूर्व प्रसूति में कोई जटिलता (गंभीर एनीमिया वाली महिलाओं को छोड़ कर) के पश्चात, समय पर रेफरल व लगातार 2 महीने तक अनुवर्तन (follow up) किया जाना है ।
2. कुल पंजीकृत गर्भवती महिलाओं में से 7 प्रतिशत से अधिक उच्च जोखिम वाली महिलाओं की पहचान व समय पर रेफरल करना ।
3. RCH Register में संधारित उक्त सूचकांक का प्रतिवेदन/उपलब्धि को प्रखण्ड स्तर से प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारीपदाधिकारी/प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक के द्वारा सत्यापन के बाद यह प्रोत्साहन राशि दी जायेगी ।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) (ख) (ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का नाम : डा0 बी0के0मिश्र–राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी/श्री गौरव कुमार–उपनिदेशक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी का फोन नं० :7759860705/ 9431005972

क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश

कार्यक्रम का नामः RMNCH+A: Performance Based Incentives for the 10 High Priority Districts (HPDs)

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): Incentive proposed for ANM for conducting deliveries at SCs designated as delivery point

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक–2 के आधार पर): A.8.1.10.6

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक गर्भवती महिलाओं को अच्छी गुणवत्ता के साथ प्रसव पूर्व, प्रसव कालीन, प्रसवोपरांत देखभाल प्रदान किये जाने के उद्देश्य से प्रत्येक प्रखण्ड के दो स्वास्थ्य उपकेन्द्रों को लेबल–1 एम.सी.एच. केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा है । जहाँ पर एस.बी.ए. प्रशिक्षित ए.एन.एम. के द्वारा सामान्य प्रसव की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है । स्वास्थ्य उपकेन्द्रों को लेबल–1 एम.सी.एच. केन्द्र के रूप में सुदृढ़ करने हेतु तथा स्वास्थ्य उपकेन्द्र पर प्रसव कराने हेतु ए.एन.एम. को प्रेरित करने हेतु भारत सरकार के द्वारा RMNCH+A Strategy के तहत High Priority जिले के लिए Performance Based प्रोत्साहन राशि का प्रावधान इस बजट शीर्ष में किया गया है।

इकाई राशि (रू० में) : 300/प्रसव (छठे प्रसव से)/माह

वित्तीय दिशा निर्देश :एस.बी.ए. प्रशिक्षित ए.एन.एम. द्वारा लेबल–1 एम.सी.एच. केन्द्र के रूप में चिन्हित स्वास्थ्य उपकेन्द पर प्रसव कराने हेतु प्रोत्साहन राशि दी जायेगी । यह राशि प्रत्येक माह छठे प्रसव से रू 300 प्रति प्रसव के हिसाब से 3 महीने पर (त्रैमासिक) दी जायेगी।

ए.एन.एम. को प्रोत्साहन राशि निम्न अर्हताओं को पूरा करने पर देय है –

1. प्रसवोपरांत 6 घण्टे तक उपकेन्द्र पर माता का ठहरना ।
2. माता एवं नवजात शिशुओं का MCTS में पंजीकरण किया जाना ।
3. मां और नवजात शिशु दोनों प्रसव के 42 दिनों तक स्वस्थ एवं सुरक्षित होना ।
4. जन्म का पंजीकरण करवा कर जन्म प्रमाण पत्र माता तक पहुंचाना ।

Labou Room/RCH Register में संधारित उक्त सूचकांक का प्रतिवेदन/उपलब्धि को प्रखण्ड स्तर से प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक के द्वारा सत्यापन के बाद यह प्रोत्साहन राशि दी जायेगी ।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) (ख) (ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का नाम : डा0 बी0के0मिश्र–राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी/श्री गौरव कुमार–उपनिदेशक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी का फोन नं० :7759860705/9431005972

किंयान्वयन हेतु दिशा निर्देश

कार्यक्रम का नाम: RMNCH+A: Performance Based Incentives for the 10 High Priority Districts (HPDs)

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): Incentive proposed for ANM/Staff Nurse for conducting deliveries at APHC designated as delivery point

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक–2 के आधार पर): A.8.1.10.7

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक गर्भवती महिलाओं को अच्छी गुणवत्ता के साथ प्रसव पूर्व, प्रसव कालीन, प्रसवोपरांत देखभाल प्रदान किये जाने का उद्देश्य से प्रत्येक प्रखण्ड के एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को लेबल–1 एम.सी.एच. केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा है । जहाँ पर एस.बी.ए. प्रशिक्षित ए.एन.एम. /स्टाफ नर्स के द्वारा सामान्य प्रसव की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है । अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को लेबल–1 एम.सी.एच. केन्द्र के रूप में सुदृढ़ करने हेतु तथा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रसव कराने हेतु ए.एन.एम./स्टाफ नर्स को प्रेरित करने हेतु भारत सरकार के द्वारा RMNCH+A Strategy के तहत High Priority जिले के लिए Performance Based प्रोत्साहन राशि का प्रावधान इस बजट शीर्ष में किया गया है।

इकाई राशि (रू० में) : 300/प्रसव (सोलहवाँ प्रसव से)/माह

वित्तीय दिशा निर्देश :एस.बी.ए. प्रशिक्षित ए.एन.एम./स्टाफ नर्स द्वारा लेबल–1 एम.सी.एच. केन्द्र के रूप में चिन्हित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रसव कराने हेतु प्रोत्साहन राशि दी जायेगी । यह राशि प्रत्येक माह सोलहवें प्रसव से रू 300 प्रति प्रसव के हिसाब से 3 महीने पर (त्रैमासिक) दी जायेगी।

ए.एन.एम. को प्रोत्साहन राशि निम्न अर्हताओं को पूरा करने पर देय है –

1. प्रसवोपरांत 48 घण्टे तक माता एवं नवजात शिशुओं का ठहरना ।
2. गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने हेतु सुरक्षित प्रसव की चेकलिस्ट का उपयोग करना ।
3. बीसीजी, पोलियों दवा की पहली खुराक तथा Hep-B का टीकाकरण।
4. एमसीपी कार्ड में नवजात शिशु के वजन को दर्ज किया गया हो ।
5. मां और नवजात शिशु दोनों प्रसव के 42 दिनों तक सुरक्षित है और
6. जन्म का पंजीकरण करवा दिया गया हो ।

Labou Room/RCH Register में संधारित उक्त सूचकांक का प्रतिवेदन/उपलब्धि को प्रखण्ड स्तर से प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक के द्वारा सत्यापन के बाद यह प्रोत्साहन राशि दी जायेगी ।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) (ख) (ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का नाम : डा0 बी0के0मिश्र–राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी/श्री गौरव कुमार–उपनिदेशक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी का फोन नं० : 7759860705/ 9431005972

145

क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश

कार्यक्रम का नाम: RMNCH+A: Performance Based Incentives for the 10 High Priority Districts (HPDs)

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): Incentive proposed for EmOC team for conducting C-Sections at District Hospital (FRU)

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक–2 के आधार पर): A.8.1.10.9

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक गर्भवती महिलाओं को अच्छी गुणवत्ता के साथ प्रसव पूर्व, प्रसव कालीन, प्रसवोपरांत देखभाल प्रदान किये जाने का उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों को क्रियान्वित किया जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि 15 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं में गर्भावस्था, बच्चे के जन्म एवं प्रसवोपरांत जटिलता हो सकती है। इसमें से लगभग 7 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को C section प्रसव की आवश्यकता पड़ती है । इसके लिए जिला अस्पतालों को प्रथम रेफरल इकाई के रूप में विकसित किया गया है जहां 24x7 सीजेरियन प्रसव की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है । सीजेरियन प्रसव को बढ़ावा देने हेतु EmOC टीम (Obs & Gyne, Anestheist, Paediatrician, Srtaff Nurse, OT Assistant तथा 4rth Grade Staff) को भारत सरकार के द्वारा RMNCH+A Strategy के तहत High Priority जिले के लिए Performance Based प्रोत्साहन राशि का प्रावधान इस बजट शीर्ष में किया गया है।

इकाई राशि (रू० में) :3000/सी–सेक्शन (ग्यारहवे सी–सेक्शन)/माह

वित्तीय दिशा निर्देश : 10 High Priority जिलों के अंतर्गत सभी District Hospital में c- section की सुविधा प्रदान कर रही EmOC टीमों को प्रोत्साहन बढ़ाने हेतु हर माह प्रोत्साहन राशि दी जायेगी । एक EmOC टीम में Obs & Gyne, Anestheist, Paediatrician, Srtaff Nurse, OT Assistant तथा 4rth Grade Staff शामिल होगें । यह राशि प्रत्येक माह ग्यारहवें सी–सेक्शन प्रसव से रू 3000 प्रति प्रसव के हिसाब से प्रत्येक माह EmOC टीम निम्न ब्रेक–अप के अनुसार दी जायेगी। EmOC टीम को MNH toolkit के अनुसार infection prevention protocol का पालन करना आवश्यक है ।

Obs & Gyne	1000
Anes	750
Paed	500
S/N	300
OTassist	300
4rth Grade Staff	150
Total	**3000**

Labou Room Register में संधारित उक्त सूचकांक का प्रतिवेदन/उपलब्धि को नामित पर्यवेक्षक (उपाधीक्षक/अस्पताल प्रबंधक–सदर अस्पताल) द्वारा सत्यापन के बाद यह प्रोत्साहन राशि दी जायेगी ।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) (ख) (ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का नाम : डा0 बी0के0मिश्र–राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी/श्री गौरव कुमार–उपनिदेशक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी का फोन नं० : 7759860705/ 9431005972

<u>कियान्वयन हेतु दिशा निर्देश</u>

कार्यक्रम का नाम: RMNCH+A: Performance Based Incentives for the 10 High Priority Districts (HPDs)

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): Incentive proposed for HSC team for improving a set of indicators

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक–2 के आधार पर): A.8.1.10.10

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण : उपकेन्द्र, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के साथ संपर्क साधने का पहला स्थल है । उपस्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर कार्यों को सुदृढ़ करने के लिए दोनों ही दृष्टिकोण सुविधा और आउटरीच सेवाओं के माध्यम से समुदाय को बेहतर सेवा प्रदान करने में अग्रतर होगें। कार्यों में बेहतर प्रदर्शन के लिए Front Line Workers में समुह वर्क को बढ़ावा देना तथा प्रेरित करना प्रमुख है। साथ–ही–साथ समुदाय में विशेषतः महिलाएँ एवं बच्चों द्वारा इन सुविधाओं का उपयोग करना ।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक गर्भवती महिलाओं को अच्छी गुणवत्ता के साथ प्रसव पूर्व, प्रदान किये जाने के उद्देश्य से राज्य के प्रत्येक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों पर ए.एन.एम. के द्वारा स्वास्थ्य सेवाएँ दी जा रही हैं । स्वास्थ्य उपकेन्द्र, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के साथ संपर्क साधने का पहला स्थल है । उपस्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर कार्यों को सुदृढ़ करने के लिए दोनों ही दृष्टिकोण सुविधा और आउटरीच सेवाओं के माध्यम से समुदाय को बेहतर सेवा प्रदान करने हेतु ए.एन.एम. को प्रेरित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा RMNCH+A Strategy के तहत High Priority जिले के लिए Performance Based प्रोत्साहन राशि का प्रावधान इस बजट शीर्ष में किया गया है।

इकाई राशि (रू० में) : 5000/HSC team

वित्तीय दिशा निर्देश :

ए.एन.एम. को यह प्रोत्साहन राशि निम्न अर्हताओं को पूरा करने पर देय है –

1. कुल पंजीकृत गर्भवती महिलाओं में से 80 प्रतिशत से ज्यादा पंजीकृत गर्भवती महिलाओं का 12 सप्ताह के अंदर Early ANC हेतु पंजीकरण हो।
2. कुल पंजीकृत गर्भवती महिलाओं में 80 प्रतिशत से ज्यादा पंजीकृत गर्भवती महिलाओं का 4 प्रसवपूर्व जाँच सुनिश्चित किया गया हो।
3. 75 प्रतिशत से ज्यादा शिशुओं (विशेषकर 6 माह के शिशु) का स्तनपान सुनिश्चित किया गया हो ।
4. समुदायिक स्तर पर डायरिया में ओ.आर.एस का उपयोग किया गया हो। एम.सी.पी. कार्ड में 90 प्रतिशत से ज्यादा बच्चों के विकास के अनुश्रवण हेतु वजन दर्ज किया गया हो।
5. 80 प्रतिशत से ज्यादा एक वर्ष तक बच्चों का पूर्ण टीकाकरण किया गया हो।
6. 95 प्रतिशत से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान खतरे के <u>लक्षण/संकेत</u> के बारे में जागरूकता हो ।

RCH Register/MCP Card/MCTS में संधारित उक्त सूचकांक का प्रतिवेदन/उपलब्धि को प्रखण्ड स्तर से प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक के द्वारा सत्यापन के बाद यह प्रोत्साहन राशि दी जायेगी ।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का नाम : डा0 बी0के0मिश्र–राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी/श्री गौरव कुमार–उपनिदेशक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी का फोन नं० : 7759860705/ 9431005972
संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी का फोन नं० : 7759860705/ 9431005972